

ई-कचरे का निपटान

साभार : लाइव मिंट

10 अगस्त, 2017

ओसामा मांजर (डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन के संस्थापक-निदेशक)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-III (पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी) के लिए महत्वपूर्ण है।

इलेक्ट्रॉनिक्स उपभोक्ताओं को अपने गैजेट के प्रति एक सचेत उपयोगकर्ता बनने की आवश्यकता है और सरकार को यह सुनिश्चित करने में अधिक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए कि ई-कचरे को उचित अंतर्राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के तहत पुनर्नवीनीकरण किया जा रहा है या नहीं।

यदि हम उत्तर-पूर्व दिल्ली में सीलमपुर के संकीर्ण और भीड़भाड़ वाली गलियों में प्रवेश करते हैं तो अक्सर हमारा स्वागत जले हुए एल्यूमीनियम और धातु की एक मजबूत, तीखी गंध से होता है। इस क्षेत्र में साँस लेना “बाहरी लोगों” के लिए लगभग असहनीय है, लेकिन ताज़ुब तो इस बात का होता है कि सड़कों पर लोगों के चेहरे पर असुविधा का कोई संकेत नहीं है, जो फुटपाथ पर धातु के रद्दी ढेर के बीच बैठे रहते हैं। उस कथित क्षेत्र में रहने वाले लोग इस दुर्गन्ध के आदी हो गये हैं और स्वास्थ्य खतरों के बारे में लापरवाह हो गए हैं। ये लोग धातु के रद्दी के उसी जगह काम करते हैं जहाँ रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है।

सीलमपुर एक इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट डंपिंग साइट है; जहाँ अकेले हर दिन 30,000 टन ई-कचरे से निपटा जाता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक, सीलमपुर में जो कुछ भी ई-कचरा आता है वो नोएडा की बड़ी कंपनियों या सरकारी विभागों से मिलता है। वर्ष 1993 में आपातकाल के बाद उत्तरी और मध्य दिल्ली के विस्थापित परिवारों को स्थानांतरित करने के लिए सीलमपुर एक अर्द्ध-शहरी क्षेत्र है जिसे 1993 में स्थापित किया गया था। आज, यहाँ लगभग हर घर के लिए, ई-कचरा ही आय का एकमात्र स्रोत है।

देश में ई-कचरे का लगभग 90% दिल्ली में सीलमपुर और मुंबई में अंधेरी जैसे असंगठित केंद्रों में विघटित और पुनर्चक्रण की जाती है, साथ ही विज्ञान और पर्यावरण केंद्र द्वारा किये गए अध्ययन के अनुसार एक उपकरण के अभाव और अकुशल कर्मचारियों की कमी के कारण धातुओं को निकालने की दक्षता बेहद खराब है। साथ ही, ई-कचरे का प्रबंधन करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था और उचित दिशानिर्देशों की कमी ने स्वास्थ्य खतरों के जोखिमों को बढ़ाया है। इसके बावजूद, हजारों पुरुषों, महिलाएं और बच्चे इसे अपना रोजगार बनाते हुए इस असंगठित ई-कचरे के डंपिंग और रीसाइक्लिंग में लगे हुए हैं जहां वे पुराने एयर कंडीशनर, फ्रिज और मोटर्स स्मार्टफोन, डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट्स, मदरबोर्ड, सर्किट बोर्डों के ढेर के बीच लेड, कॉपर, एल्यूमीनियम और पीतल की खोज करते हैं। कंपोनेक्स नेपॉन 2009 में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री एसोसिएशन द्वारा जारी एक अध्ययन के मुताबिक, भारत में 434,000 टन कुल ई-कचरे उत्पन्न हुए थे। प्रति व्यक्ति आय और क्रय शक्ति बढ़ाने के साथ, भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार दुनिया में सबसे बड़ा बन गया है, जो 2020 तक 400 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। वर्तमान में 2020 तक इसके द्वारा 5.2 मिलियन टन (एमटी) ई-अपशिष्ट उत्पन्न करने की संभावना है। वर्ष 2016 में एसोचोम -केकेनेटिक्स द्वारा आयोजित भारत में इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट प्रबंधन पर एक अध्ययन के अनुसार, 1.8 एमटी, 30% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रही है।

लेखक के अनुसार कथित क्षेत्र में फुटपाथ पर बैठी माताओं में से एक से यह पूछा गया कि उन्हें इस बात से डर नहीं कि उनके छोटे बच्चे धातु के टुकड़े को निगल जाये या खतरनाक धुएँ श्वास लेने के कारण उनकी तबियत खराब हो जाये, तो उनका जवाब बहुत हैरान करने वाला था कि “खेलेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे?” जिसके बाद तो यही लगता है कि शायद सवाल पूछने वाला ही गलत था। वैसे सोचा जाये तो उनके पास और विकल्प बचा भी क्या है?


इलाके के माध्यम से चलते हुए, समुदाय के एक व्यक्ति ने डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन को बताया कि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) द्वारा छाप मारना एक वार्षिक घटना है, क्योंकि ये ई-कचरा असंगठित कालोनियन अनधिकृत है। हर बार एक छाप पड़ने के संबंध में जानकारी पहले से ही मिल जाती है और लोग अपने दुकानों को बंद कर देते हैं। जब एमसीडी इसके खिलाफ कार्रवाई करती है तो सीलमपुर की कुछ दुकानों या मकानों को बंद कर दिया जाता है, जबकि कुछ दुकाने थोड़े दिनों के बाद अपना काम शुरू कर देते हैं और सब कुछ एक सप्ताह के भीतर ट्रैक पर वापस आ जाता है।

हमें कुछ स्थानीय लोगों को पेश किया गया जो धातु के स्क्रेप से निपटते हैं, लेकिन जल्द ही यह महसूस किया कि यह हमारे संगठन की पहचान को इंगित करने के लिए एक अच्छा विचार नहीं था। स्थानीय लोग गैर-सरकारी संगठनों के बारे में संदेह रखते हैं और मानते हैं कि ये संगठन उनकी आजीविका को खत्म कर देगा। भारत की तकनीकी क्रांति और सस्ते फोन की भूख ने दुनिया में यह पांचवां सबसे बड़ा ई-कचरा जनरेटर बना दिया है।

पूँजीवादी संसार में, कई उपकरण लगभग तीन वर्षों बाद पुराने हो जाते हैं और अपने शून्य मूल्य तक पहुंच जाते हैं, जिससे फर्म अपनी पुरानी प्रणालियों को त्यागने के लिए मजबूर हो जाते हैं और फिर नए खरीदते हैं। इसलिए हमें भी नए मॉडल में अपग्रेड करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। प्रति वर्ष उत्पन्न ई-कचरे की मात्रा एक खतरनाक दर से बढ़ रही है, क्योंकि एक उचित और संगठित तरीके से इसका निपटान करने के लिए हमारे पास कोई उचित उपाय या तंत्र मौजूद नहीं है।

आश्चर्य की बात तो यह है कि देश में लगभग 1.8 मैट्रिक टन (mt) ई-कचरे का उत्पादन होता है, जिसमें से सरकार के पास केवल 178 अधिकृत विघटनकारी या पुनरावर्तक मौजूद होते हैं और ये सभी पर्यावरण के अनुकूल ई-कचरे को पुनः उपयोग करने के लिए एंड टू एंड क्षमताओं से सुसज्जित नहीं हैं। ई-कचरे उन लोगों के जीवन के लिए एक बड़ा खतरा बन जाता है जो इसके साथ काम करते हैं और जो उन क्षेत्रों में रहते हैं जो इसके साथ सौदा करते हैं।

एसोचोम अध्ययन में कहा गया है कि ई-कचरे से निपटने वाले 76% कैंसर से ग्रस्त हैं और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली से ग्रस्त हैं। इन क्षेत्रों में श्वास-संबंधी स्वास्थ्य समस्याएं आम हैं यह सिर्फ मनुष्यों के लिए स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हैं, लेकिन पर्यावरण के लिए भी बहुत गंभीर परिणाम हैं। इसलिए, उपभोक्ताओं को अपने गैजेट के प्रति सचेत उपयोगकर्ता बनने की आवश्यकता है और सरकार को यह सुनिश्चित करने में अधिक सक्रिय भूमिका निभानी है कि ई-कचरे को उचित अंतर्राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के तहत विघटित और पुनर्चक्रण किया जाये और ई-कचरे से निपटने वाले पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की आपूर्ति की जाये। भारत अपने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को कभी सफल नहीं बना सकता, जब तक कि इन चिंताओं का समाधान नहीं किया जाता।



ई-कचरा प्रबंधन नियम, 2016

23 मार्च, 2016 को ई-कचरा (प्रबंधन तथा निपटान) नियम, 2011 के अधिक्रमण में ई-कचरा प्रबंधन नियम, 2016 को केन्द्रीय पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अधिसूचित किया। इस नियम के तहत विभिन्न उत्पादक पृथक् उत्पादक दायित्व संगठन (पीआरओ) रख सकते हैं और ई-कचरा इकट्ठा करने तथा पर्यावरण के तरीकों के अनुसार इसका निष्पादन सुनिश्चित करेंगे।

ई-कचरा प्रबंधन नियम, 2016 की विशेषताएं

- यह नियम विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) के अंतर्गत उत्पादकों को लाएंगे और इनके लक्ष्य भी तय होंगे।
- ई-कचरा नियमों में कंपैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प (सीएफएल) तथा मरकरी वाले अन्य लैम्प और ऐसे उपकरण शामिल किए जाएंगे।
- ई-कचरा नियमों के तहत उत्पादकों को ई-कचरा इकट्ठा करने और आदान-प्रदान के लिए जिम्मेदार बनाया गया है।
- बड़े उपभोक्ताओं को कचरा इकट्ठा करना होगा और अधिकृत रूप से रिसाइक्लिंग करने वालों को देना होगा।
- नष्ट करने तथा रिसाइक्लिंग करने के काम में शामिल श्रमिकों की सुरक्षा स्वास्थ्य तथा कौशल विकास सुनिश्चित करने की भूमिका राज्य सरकारों की है, नियमों के उल्लंघन करने पर दण्ड का भी प्रावधान किया गया।
- ई-कचरा को नष्ट करने और रिसाइक्लिंग करने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, यह प्रक्रिया प्राधिकरण केन्द्र प्रणाली से सरल बनाई गई है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पूरे देश में एकल प्राधिकार देगा।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड – CPCB

- केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन एक सांविधिक संगठन के रूप में जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत सितंबर, 1974 में किया गया था। इसके पश्चात् केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत शक्तियां व कार्य सौंपे गये।
- यह क्षेत्र निर्माण के रूप में कार्य करता है तथा पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को तकनीकी सेवाएं भी उपलब्ध करता है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रमुख कार्य जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 में व्यक्त किये गये हैं।
- जल प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण द्वारा राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में कुओं और सरिताओं की स्वच्छता को सुधारना तथा देश में वायु प्रदूषण के निराकरण अथवा नियंत्रण, निवारण के लिए वायु गुणवत्ता में सुधार लाना।
- वायु गुणवत्ता प्रबोधन वायु गुणवत्ता प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण अंग है। राष्ट्रीय वायु प्रबोधन कार्यक्रम (रा.व.प्र.का.) की स्थापना वर्तमान वायु गुणवत्ता की स्थिति और प्रवृत्ति को सुनिश्चित करने तथा उद्योगों और अन्य स्रोतों के प्रदूषण को नियमित कर नियंत्रित करने तथा वायु गुणवत्ता मानकों के अनुरूप रखने के उद्देश्य से की गई है। यह औद्योगिक स्थापना तथा शहरों की योजना तैयार करने के लिए अपेक्षित वायु गुणवत्ता के आंकड़ों की पृष्ठभूमि भी उपलब्ध कराता है।

संगठनात्मक संरचना

- बोर्ड में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, जिसे पर्यावरणीय संरक्षण से सम्बद्ध मामलों में विशेष ज्ञान या अनुभव हो या ऐसा व्यक्ति जिसे उपरिलिखित मामलों के साथ संस्था के प्रशासनिक कार्यों का ज्ञान या अनुभव हो, जिसे केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- पांच से अनाधिक सदस्य केंद्र सरकार द्वारा, उसका प्रतिनिधित्व करने वाले, नामित किए जाते हैं।
- केंद्र सरकार द्वारा राज्य बोर्डों में से पांच से अनाधिक सदस्य नामित किए जाते हैं।
- केंद्र सरकार द्वारा कृषि, मत्स्य या उद्योग या व्यापार या अन्य हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन से अनाधिक गैर-सरकारी सदस्यों को नामित किया जाता है।
- केंद्र सरकार के स्वामित्व, नियंत्रण एवं प्रबंधन वाले निगमों एवं कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो व्यक्तियों को केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है।

सीपीसीबी के दायित्व एवं कार्य

- भारत सरकार को जल एवं वायु प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण तथा वायु गुणवत्ता में सुधार से संबंधित किसी भी विषय में परामर्श देना।
- जल तथा वायुप्रदूषण की रोकथाम अथवा निवारण एवं नियंत्रण के लिए एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना तैयार करता था, उसे निष्पादित कराना।
- राज्य बोर्डों की गतिविधियों का समन्वयन करना तथा उनके बीच उत्पन्न विवादों को सुलझाना।
- राज्य बोर्डों की तकनीकी सहायता व मार्गदर्शन उपलब्ध कराना, वायुप्रदूषण से संबंधित समस्याओं तथा उसके निवारण, नियंत्रण अथवा उपशमन के लिए अनुसंधान और उसके उत्तरदायी कारणों की खोज करना।
- जल तथा वायुप्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण अथवा उपशमन के कार्यक्रम में संलग्न व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करना तथा योजनाएं तैयार करना।
- जल तथा वायु प्रदूषण की रोकथाम अथवा नियंत्रण, निवारण पर एक विस्तृत जन-जागरूकता कार्यक्रम, मास मीडिया के माध्यम से आयोजित करना।
- जल तथा वायु प्रदूषण और उसके प्रभावी निवारण, नियंत्रण अथवा रोकथाम के लिए किये गये उपायों के संबंध में तकनीकी तथा सांख्यिकीय आंकड़ों को संग्रहीत, संकलित कर प्रकाशित करना।
- स्टेक गैस क्लीनिंग डिवाइसिस, स्टैक्स और डक्टस सहित मल-जल तथा व्यावसायिक बहिष्प्रावों के विसर्जन तथा शोधन के संबंध में नियमावली, आचार संहिता और दिशा-निर्देश तैयार करना।
- जल तथा वायु प्रदूषण तथा उनके निवारण तथा नियंत्रण से संबंधित मामलों में सूचना का प्रसार करना।
- संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से नदियों अथवा कुओं के लिए मानकों को निर्धारित करना तथा वायुगुणवत्ता के लिए मानक तैयार करना, निर्धारित करना, संशोधित करना अथवा रद्द करना।
- भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये गये अन्य कार्य निष्पादित करना।

संभावित प्रश्न

“इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट के पर्यावरणीय प्रभावों एवं ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 के संदर्भ में, इसके निपटान के बेहतर तरीकों पर चर्चा कीजिये। ई-अपशिष्ट के उचित उपयोग और निपटान के लिये प्रोत्साहन हेतु कुछ उपाय सुझाए। (200 शब्द)